Elementary school

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, चूरू

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) परिसर चूरू (राज.)

☎ : 01562.256483 adpcsmsachuru@gmail.com 📠 : 01562.256483

क्रमांकः–एडीपीसी / समग्र शिक्षा / चूरू / किशोरी सशक्तिकरण (MHHH) / 2026–27 / 588 दिनांकः– 21.08.2026

वित्तीय एवं आहरण स्वीकृति सत्र 2026–27 किशोरी सशक्तिकरण (MHHM)

श्रीमान् राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर के दिशा–निर्देश क्रमांक 6950 दिनांक 03.07.2026 के अन्तर्गत किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम (माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन हेतु) प्रशासनिक स्वीकृति file No- Jai/Gender/Adolescent Programme for girls/01985-6139625 RajKaj Ref 23690579 दिनांक 10.08.2026 एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक– file No- Jai/Gender/Adolescent Programme for girls/01985-6139625 RajKaj Ref 23963769 दिनांक 13.08.2026 के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2026–27 में Major Component – Gender & Equity, Sub component- Special Project for Equity, Activity – Special Projects for Equity – Recurring, Sub Activity – **Adolescent Programme for Girl Students (C3414) 456 राजकीय विद्यालयों (Elementary School)** हेतु अनुमोदित गतिविधि किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राशि रू. 4000/– प्रति विद्यालय कुल राशि 1824000 (अक्षरे रू. अठारह लाख चौबिस हजार मात्र) निम्नानुसार सारणी में वर्णित सी.बी.ई.ओ. कार्यालय को सिंगल नोडल SNA खाता संख्या 40469910973 से आहरण करने की वित्तीय एवं आहरण सीमा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय की दर से आहरित की जाने वाली राशि @4000	कुल भिजवायी जाने वाली राशि
1	BIDASAR	23	4000	92000
2	CHURU	68		272000
3	RAJGARH	111		444000
4	RATANGARH	67		268000
5	SARDARSHAHAR	76		304000
6	SUJANGARH	50		200000
7	TARANAGAR	61		244000
		Total		**1824000**

(अक्षरे रू. अठारह लाख चौबिस हजार मात्र)

संलग्न :– किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम दिशा–निर्देश 2026–27 एवं विद्यालयो की सूची

सहायक लेखाधिकारी– प्रथम
समग्र शिक्षा, चूरू

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, चूरू

क्रमांकः–एडीपीसी / समग्र शिक्षा / चूरू / किशोरी सशक्तिकरण (MHHH) / 2026–27 / 588 दिनांकः– 21.08.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्रीमान् राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,समग्र शिक्षा, चूरू।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, चूरू।
4. प्रभारी लेखा को भेजकर लेख है कि संबंधित राशि संचालन पोर्टल सिंगल नोडल SNA खाता संख्या 40469910973 से राशि हस्तान्तरित करने का श्रम करें।
5. रक्षित पत्रावली।

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, चूरू

राजस्थान सरकार

।। कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, सरदारशहर ।।

क्रमांक :–सीबीईओ / समग्र शिक्षा / स.शहर / लेखा शाखा / 2026–27 / 61 दिनाक :– 01.09.26

वित्तीय एवं आहरण स्वीकृति
किशोरी सशक्तिकरण सत्र 2026–27 (प्रारम्भिक शिक्षा)

कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, चूरू के कार्यालय आदेश क्रमांकः– अजिपसिम / समग्र शि. / चूरू / किशोरी सशक्तिकरण (MHHM) दिनांक 21.08.2026 के अन्तर्गत किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के कियान्वयन के लिए राशि रु 4000 प्रति विद्यालय निम्नानुसार सारणी के वर्णित पीईईओ / यूसीईईओ के संचालन पोर्टल Single Nodal Account (SNA), से निम्नानुसार सम्बन्धित विद्यालय के पीईईओ / डीडीओ विद्यालय के Singal Nodala Account (SNA) के उक्त मद में लिमिट जारी कर राशि आहरण करने की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त राशि का विभागीय नियमानुसार उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

क्र.सं.	डाईस कोड	विद्यालय का नाम	प्रति विद्यालय 4000	पीईईओ / यूसीईईओ / डीडीओ विद्यालय	पीईईओ / यूसीईईओ / डीडीओ विद्यालय के एजेन्सी कोड	किशोरी सशक्तिकरण (प्राशि) की राशि
1	08040314801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SAWAI CHHOTI	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LUNKARANSAR ROAD SAWAIBARI	RJCR00004023	12000
2	08040314802	GOVT. SANS. PRIMARY SCHOOL SANWAI SANVAL	4000			
3	08040315001	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SAWAI DELANA	4000			
4	08040316503	Govt.Upper Primary School Girls GHARSISAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GHADSISAR	RJCR00004027	8000
5	08040316602	GUPS DHANI RAMKUMAR PANPALIA	4000			
6	08040303901	govt upper primary school mehrasar chhanna	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MITASAR	RJCR00004032	12000
7	08040304301	govt upper primary school hirajsar	4000			
8	08040314602	govt upper primary school girls mitasar	4000			
9	08040302701	govt upper primary school bilyun mahiyan	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BILYU BASS RAMPURA	RJCR00004046	4000
10	08040306201	govt upper primary school kusumdesar	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAWAR	RJCR00004048	4000
11	08040307001	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL HALASAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHANIPURA	RJCR00004357	4000
12	08040308901	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL PUNSISAR SARDARSHAHAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UDSAR LODERA	RJCR00004360	12000
13	08040308801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHOLUSAR	4000			
14	08040308701	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHINVSAR	4000			
15	08040322403	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL PHOGAN JALPANSARKI	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PHOGAN BHARTHARI	RJCR00005305	8000
16	08040307702	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL PHOGAN BHOGAN	4000			
17	08040315302	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL AASALSAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AJITSAR CHURU	RJCR00005307	8000
18	08040315204	GUPS G SANSKRIT AJITSAR	4000			
19	08040302101	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL RAJALWARA	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAIJASAR	RJCR00005311	4000
20	08040307206	KGBV GARMIN HARDESAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HARDESAR	RJCR00005624	4000
21	08040316701	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SOMASAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ADSISAR	RJCR00005341	8000
22	08040316702	GOVT. SANS. UPPER PRIMARY SCHOOL SOMASAR	4000			
23	08040303601	G.U.P.S DHANI TETARWAL	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BOGHERA	RJCR00005351	4000
24	08040316101	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHAUWALA	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RATUSAR	RJCR00005371	4000
25	08040314102	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL RAIKO KI DHANI RAJASAR PANWARAN	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAJASAR PANWARAN	RJCR00005379	4000
26	08040314201	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL RAJASAR CHODIYA	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOJASAR CHHOTA	RJCR00005388	4000

क्र.सं.	डाईस कोड	विद्यालय का नाम	प्रति विद्यालय 4000	पीईईओ / यूसीईईओ / डीडीओ विद्यालय	पीईईओ / यूसीईईओ / डीडीओ विद्यालय के एजेन्सी कोड	~~सीएसजी~~ किशोर सशक्तिकरण (प्राशि) की राशि
27	08040317606	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHEJDA UTRADA	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHEJRA DIKHANADA	RJCR00005496	8000
28	08040317603	GOVT. PRIMARY SCHOOL KHEJARAN AGUNA BAS	4000			
29	08040319801	GOVT. PRIMARY SCHOOL PATLISAR PUROHITAN	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PATLISAR BARA	RJCR00005498	4000
30	08040317806	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DHINGTANIYA	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAITSISAR	RJCR00005514	4000
31	08040328601	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL PICHKARAI TAL	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PICHKARAI TAL	RJCR00005517	8000
32	08040317001	GUPS PICHKARAI TIBA	4000			
33	08040301201	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KHUNDIA	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAJASAR BIKAN	RJCR00005521	4000
34	08040315101	GOVT. PRIMARY SCHOOL RAMSARA PARIHARAN	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KALYANPURA PUROHITON	RJCR00005529	12000
35	08040311801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SAJANSAR	4000			
36	08040311404	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KALYANPURA BIDAWATAN	4000			
37	08040301801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHARANWASI	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHADASAR DIKHNADA	RJCR00005530	4000
38	08040310202	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KANARWAS UTTRADA	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHANI PANCHERA CHURU	RJCR00005538	4000
39	08040305801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL LODSAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAYALA	RJCR00005540	4000
40	08040303101	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AMRASAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEHRASAR UPADHIYAN	RJCR00005543	8000
41	08040303001	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SAHJASAR	4000			
42	08040304001	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DHANI KALERA	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOJRASAR	RJCR00005587	8000
43	08040305401	G.U.P.S. DHANI SUHANA	4000			
44	08040312602	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ADMALSAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEHRASAR CHACHERA	RJCR00005589	4000
45	08040320201	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL HARPALSAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAISANGSAR CHURU	RJCR00005613	4000
46	08040300801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MALSISAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANWALASAR	RJCR00005791	4000
47	08040300705	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DHANI MAHIYAN SONPALSAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KIKASAR CHURU	RJCR00006014	8000
48	08040300701	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ISHAR KI DHANI SONPALSAR	4000			
49	08040301501	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL GOMATIYA	4000	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MADH. BHAG BANDHNAU DIKH.	RJCR00006141	4000
50	08040313901	GOVT. PRIMARY SCHOOL JAGMALANA JOHARA BHOJASAR BADA	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAINASAR SUMERIYA	RJCR00006146	4000
51	08040312001	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SINGDI	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RUPLISAR	RJCR00006147	8000
52	08040312301	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DEGAN	4000			
53	08040301301	GOVT. SANS. UPPER PRIMARY SCHOOL BANGHNAU UTRADA	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANDHNAU UTRADA	RJCR00006148	4000
54	08040313401	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DALLUSAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TOLASAR	RJCR00006150	12000
55	08040313701	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BANIYASAR	4000			
56	08040313402	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DALLUSAR	4000			
57	08040320101	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL HARIYASAR JATAN	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHIWANSAR	RJCR00006431	24000
58	08040309901	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DANDUSAR	4000			
59	08040310001	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL SOMANSAR	4000			
60	08040309501	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AASUSAR	4000			
61	08040309801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHAIRUSAR	4000			
62	08040320102	GUPS G SANSKRIT HARIYASAR JA	4000			
63	08040305001	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KUNTALSAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ASPALSAR BADA	RJCR00006482	4000

क्र.सं.	डाईस कोड	विद्यालय का नाम	प्रति विद्यालय 4000	पीईईओ / यूसीईईओ / डीडीओ विद्यालय	पीईईओ / यूसीईईओ / डीडीओ विद्यालय के एजेन्सी कोड	किशोरी [illegible] ~~सीएसजी~~ (प्राशि) की राशि
64	08040330501	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL HARIJAN BASTI SARDARSHAHAR	4000	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL G S TANTIA SARDARSHAHAR	RJCR00006267	16000
65	08040325202	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NO SEVEN SARDARSHAHAR	4000			
66	08040325203	GUPS SUKHI DEVI SARDARSHAHAR	4000			
67	08040324305	G.U.P.S. SANSKRIT SHOMNATH SARDARSHAHAR	4000			
68	08040326103	GGUPS TANTIA SARDARSHAHAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TAL MAIDAN SARDARSHAHAR	RJCR00005595	20000
69	08040323404	G.U.P.S. ANIWARYA NO 1 SARDARSHAHAR	4000			
70	08040321207	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NO 6 SARDARSHAHAR	4000			
71	08040321212	KASTURBA GANDHI BALIKA VIDYALAYA SARDARSHAHAR	4000			
72	08040321208	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL AMBED. MOH. RAMNAGAR BAS SARDARSHAHAR	4000			
73	08040313801	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHATWALA	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ROLASAR)	RJCR00006655	8000
74	08040313301	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MANAPARSAR	4000			
75	08040315703	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NAIYASAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHADSAR	RJCR00005506	4000
76	08040305506	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MALAKSAR	4000	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALAKSAR	RJCR00005899	4000
			304000			304000

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध करवायी जा रही है व्यय उसी मद में किया जावें।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र परिषद के निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. उक्त राशि का व्यय वार्षिक कार्य–योजना वर्ष 2026–27 की पीएबी में स्वीकृत मद **Adolescent Programme for Girl Students** में किया जायेगा।
4. राशि का उपयोग परिषद, से जारी दिशा–निर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईडलाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुये किया जायें।

Component :- Special Projects for Equity (Elementary)

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, सरदारशहर

क्रमांक :–सीबीईओ / समग्र शिक्षा / स.शहर / 2026–27 / 61

दिनाक :- 01.9.26

प्रतिलिपि :–
1. श्रीमान अति. जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, चूरू।
2. सम्बन्धित पीईईओ / यूसीईईओ ....
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ....
4. कार्यालय प्रति।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, सरदारशहर

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

पुण्यश्लोका देवी आहिल्या बाई होल्कर भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
फोन न. 0141–2715518, Email :- rajsmsa.girlsedu@rajasthan.gov.in

RCSCE राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम
(मीना–राजू, गार्गी मंच एवं किशोरी मेला, माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन)
दिशा–निर्देश सत्र 2026–27
ऐक्टिविटी कोड – C3414 Elementary Schools; C2558 Secondary Schools

सार संक्षेप

यह दिशा निर्देश कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के सफल संचालन के संदर्भ में जारी किए जा रहे हैं। वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2026–27 में समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु किशोर सशक्तिकरण गतिविधि अंतर्गत मीना–राजू मंच, गार्गी मंच, अध्यापिका मंच, किशोरी मेला, अंतर्राष्ट्रीय–राष्ट्रीय बालिका दिवस, माहवारी स्वास्थय एवं स्वच्छता प्रबंधन एवं शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियाँ अनुमोदित की गई है। दिशा निर्देश में गति. विधि का संदर्भ, गतिविधि की जानकारी, संचालन प्रक्रिया, उपलब्ध सामग्री, शिक्षक, विद्यालय एवं विभिन्न स्तर के अधिकारियों की भूमिका, उपलब्ध बजट तथा मॉनीट्रिंग के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई है।

संदर्भ

किशोरावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें किशोर किशोरियों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों का सामना करता है। किशोरावस्था में सही मार्गदर्शन और समर्थन उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत विश्व की सबसे बडी किशोर आबादी वाले देशों में से एक है, जहाँ प्रत्येक पॉच में से एक व्यक्ति 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग का है। यदि किशोर एवं किशोरियाँ सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त होंगे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह तभी संभव है जब सभी को सीखने व भागीदारी के समान अवसर प्राप्त हों।

अनेक किशोर एवं किशोरियाँ अपने अधिकारों, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन से जुडे महत्वपूर्ण मुद्दों की समुचित जानकारी और सहभागिता के अवसरों से वंचित हैं। विशेष रूप से किशोरियाँ सामाजिक रूढ़ियों और लैंगिक भेदभाव के कारण असुरक्षा, सीमित अवसरों और स्वयं अपने निर्णय लेने की कमी का सामना करती हैं। इसका प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े विभिन्न सूचकांकों में भी परिलक्षित होता है।

राजस्थान में लैंगिक असमानता की स्थिति विशेष चिंता का विषय है, जो कम लिंगानुपात (1000 लड़कों पर 888 लड़कियाँ, जनगणना 2011), बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की उच्च दर तथा बाल विवाह जैसी चुनौतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में बालिकाएँ माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही विद्यालय छोड देती हैं तथा अनेक किशोरियाँ बाल विवाह से प्रभावित होती हैं। एनएफएचएस–5 के अनुसार, 20–24 वर्ष आयु वर्ग की 25.4% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो चुका था। यह दर्शाता है कि लैंगिक भेदभाव जन्म से पहले शुरू होकर जीवनभर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं अवसरों तक पहुँच को प्रभावित करता है।

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि किशोर एवं किशोरियों दोनों के साथ जीवन कौशल आधारित शिक्षा पर कार्य किया जाए, जिससे वे सोच–समझकर निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने, प्रभावी संवाद स्थापित करने, नेतृत्व क्षमता विकसित करने तथा हिंसा एवं भेदभाव के विरुद्ध सशक्त रूप से खड़े होने में सक्षम बन सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जीवन कौशल आधारित शिक्षा को विशेष महत्व प्रदान करती है।

सत्र 2026–27 में राजस्थान सरकार द्वारा "Special project for Equity" में समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षा में जेण्ड़र समता एवं उत्कृष्टता लाने और जीवन कौशल विकास के समान अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाना है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य– ''सभी बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शत प्रतिशत ट्रॉन्जिशन अर्थात कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्णता, एवं बेहतर लर्निंग आउटकम के साथ–साथ उनमें आत्मविश्वास व जीवन कौशल का विकास'', की प्रप्ति हेतु सत्र 2026–27 में निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन किया जायेगाः–

1. मीना–राजू मंच एव गार्गी मंच का संचालन–विद्यालय स्तर पर
2. किशोर–किशोरियों के सशक्तिकरण पर विशेषज्ञ सत्र – विद्यालय स्तर
3. किशोरी मेला– विद्यालय स्तर पर
4. अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन – विद्यालय एवं जिला स्तर पर
5. माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन – विद्यालय स्तर पर

गतिविधि हेतु राज्य पर कुल अनुमोदित बजट

Activity name	**Physical**	**Unit Cost**	**Financial (in lakhs)**
Elementary	17839	0.10	1783.90
Secondary	18926	0.10	1892.60
TOTAL	**36765**		**3676.50**

उक्त गतिविधियों का प्रभावी संचालन शिक्षा के उद्‌देश्य को पूरा करने में सहायक होगा। समग्र शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा को प्री–प्राईमरी से कक्षा 12 तक अबाधित एवं सतत शिक्षा के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाये गये विश्व के **सतत विकास लक्ष्य 2030** (Sustainable Development Goals 2030) के साथ जोड़ कर भी देखा गया है। कुल 17 सतत विकास लक्ष्य में से बालिका शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा विभाग निम्नलिखित दो सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य करता है –

सतत विकास लक्ष्य 4 : समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए शिक्षा प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना।

सतत विकास लक्ष्य 5 : लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना

1 मीना–राजू मंच

किशोरावस्था वह अवस्था है जब बालक–बालिकाओं के सपने, आकांक्षाएँ और पहचान विकसित होने लगती हैं। इस समय उनकी ऊर्जा, जिज्ञासा और सीखने की उत्सुकता उन्हें विशेष बनाती है, साथ ही वे अपनी पहचान बनाने और परिवार के निर्णयों में भागीदारी की अपेक्षा रखते हैं। परंतु इस उम्र में शारीरिक–मानसिक परिवर्तन, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, त्वरित निर्णय लेने की प्रवृत्ति तथा सही मार्गदर्शन के अभाव में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

असीमित ऊर्जा और अनगिनत उलझनों के बीच जरूरत है कि उनके मजबूत पक्षों को और मजबूत किया जाए और उलझनों/चुनौतियों का सामना करने का हौसला दिया जाए। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में मीना मंच के माध्यम से कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं को अभिव्यक्ति, नेतृत्व और सहभागिता के अवसर प्रदान किए गए, जिससे उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई।

बालिकाओं में आए इन बदलावों से एक जरूरत यह उभरी कि बदलाव वृहद स्तर पर तभी संभव है जब बालकों को भी सीखने व नेतृत्व करने के अवसर उपलब्ध करवाएँ जायें। इसी उद्देश्य से मीना–राजू मंच की शुरुआत की गई, ताकि बालिका और बालक दोनों समान रूप से सीखने व नेतृत्व करने और लैंगिक समानता की समझ विकसित कर सकें। एक समतामूलक समाज के निर्माण हेतु बालिकाओं के साथ–साथ बालकों का सशक्तिकरण भी आवश्यक है।

मीना–राजू मंच, स्कूल का एक ऐसा मंच है, जिसमें सीखने के अवसर सिर्फ मंच तक सीमित नहीं है। यह कक्षा के सभी सहपाठियों को सम्मिलित कर सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। स्कूल में मंच की कार्य–प्रस्तुतियों के परिणाम स्वरूप पूर्व किशोरावस्था के बालक–बालिकाओं की आपसी समझ बननी प्रारंम्भ हो सकेगी। इस मंच के जरिये उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित होगी। मीना–राजू मंच के बालक–बालिका अन्य सभी सहपाठियों के लिए रोल मॉडल्स होंगे।

1.1 गतिविधि संचालन का कवरेज

कक्षा 6 से 8 की समस्त बालिकाएं एवं बालक जो कि उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, मीना–राजू मंच के सदस्य होंगे। मीना–राजू मंच का संचालन **36765** राजकीय विद्यालयों में होगा।

1.2 गार्गी मंच

गार्गी मंच एक ऐसा मंच है जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गठित है जिसमें कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी शामिल हैं। इस मंच के माध्यम से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ ही जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान पर खुलकर विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और अपने साथ पढने वाले साथी एवं शिक्षकों की मदद से आगे बढ सकते हैं। गार्गी मंच का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज में व्याप्त भेदभावों को समझने, उनके कारणों पर चिंतन करने तथा अपने अनुभवों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करना है। इसके माध्यम से उन्हें समस्या समाधान के कौशल विकसित करने और अपने आस–पास के विद्यार्थियों एवं साथियों की सहायता के लिए प्रेरित किया जाता है। तथा यह मंच करियर के विविध अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराता है और विद्यार्थियों को अपने विशेषाधिकारों एवं जेंडर भेदभाव के अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे जेंडर समता की दिशा में सजग और संवेदनशील बन सकें।

यह मंच समस्त राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को सशक्त करने एवं जेंडर समानता बढाने के लिए राज्य के सभी विद्यालयों में संचालित है। आठवीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी अक्सर कई कारणों से माध्यमिक स्तर की शिक्षा से नहीं जुड पाते हैं खास तौर पर बालिकाएं। इससे माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का एक बड़ा हिस्सा स्कूली शिक्षा पूरी करने से वंचित रह जाता है, जिससे बालिकाओं में बाल–विवाह होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, जो सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक चुनौतियों को जन्म देती हैं।

माध्यमिक स्तर पर गार्गी वह विद्यार्थी है जो मीना और राजू की भाति अपनी शिक्षा एवं सहपाठियों की विद्यालयी शिक्षा पूरी करने हेतु प्रयत्नशील है। वे समस्या समाधान के लिए तत्पर रहते हैं और किसी से बातचीत करने और सहायता मांगने से हिचकिचाते नहीं है। वे परिवार में कुप्रथा,

अंधविश्वास एवं सामाजिक बुराईयों का विरोध करते हैं साथ ही विद्यालय, परिवार और समाज में अपना गरिमापूर्ण स्थान बनाने के लिए प्रयास करते हैं।

1.3 गतिविधि संचालन का कवरेज

कक्षा 9 से 12 की समस्त बालिकाएं एवं बालक जो कि उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, गार्गी मंच के सदस्य होंगे। गार्गी मंच का संचालन **18926** मा0/उ0मा0 विद्यालयों में किया जायेगा।

1.4 मीना–राजू मंच एवं गार्गी मंच का गठन

मीना–राजू मंच एवं गार्गी मंच में समस्त बच्चे उसके सदस्य होंगे। गतिवधियों के संचालन एवं फेसीलिटेशन के उद्देश्य से प्रत्येक कक्षा से कुछ बच्चों को प्रेरकों के रूप में सर्वसम्मिति से चयन किया जायेगा। जो कि स्वयं की कक्षा में फेसीलिटेशन का काम करेंगे। मीना–राजू मंच एवं गार्गी मंच के कक्षावार प्रेरकों का गठन निम्नानुसार किया जायेगा –

सदस्य संख्या	कक्षा–6	कक्षा–7	कक्षा–8	कक्षा–9	कक्षा–10	कक्षा–11	कक्षा–12	कुल
मीना–राजू मंच								
बालिका	3	3	3					9
बालक	2	2	2					6
कुल	5	5	5					15
गार्गी मंच								
बालिका				3	3	3	3	12
बालक				2	2	2	2	8
कुल				5	5	5	5	20

1.5 मीना-राजू एवं गार्गी मंच संचालन के निर्देश

मीना–राजू मंच	गार्गी मंच
मीना–राजू मंच में कक्षा 5 से भी पाँच सदस्यों को सम्मिलित किया जा सकता है, किन्तु यह जरूरी नहीं होगा।	गार्गी मंच में कक्षा 8 से तीन बालिकाओं को सम्मिलित किया जा सकता है, किन्तु यह जरूरी नहीं होगा।

सामान्य दिशा–निर्देश

- उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में एक से अधिक सेक्शन होने की स्थिति में सुगमकर्ता स्वविवेक से प्रत्येक सेक्शन से 2–3 बालिका एवं 2 बालकों को प्रेरक बना सकेगी। ऐसी स्थिति में मंच की कोर समिति सदस्यों की संख्या आर्दश स्थिति से भिन्न होगी।
- मीना–राजू/गार्गी मंच के प्रेरक समूहों में शामिल छात्र–छात्राओं के नाम विद्यालय के किसी उपयुक्त स्थान पर एक कार्ड शीट पर लिखकर लगाए जाए।
- प्रेरक समूहों के नामों और मीना–राजू/गार्गी मंच के उद्देश्यों के बारे में सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना सत्र में जानकारी दी जाए।
- मीना–राजू/गार्गी मंच एवं प्रेरक समूहों के बारे में विद्यालय प्रबंधन समिति की पहली बैठक में चर्चा करें और अभिभावकों के विचारों को कार्यवाही विवरण में दर्ज करें।
- प्रेरक समूहों को प्रोत्साहित करें कि वे प्रत्येक तीसरे महिने के द्वितीय **नो बैग डे** पर अपनी गतिविधियों के बारे में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना सत्र में जानकारी दें।

1.6 मीना–राजू एवं गार्गी मंच के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ

मीना–राजू मंच के अंतर्गत सत्रपर्यन्त **6 थीमों पर आधारित 12 सत्रों** के माध्यम से गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। मीना–राजू मंच की 6 थीम हैं– (i) प्रभावी संप्रेषण, (ii) आत्मगौरव, (iii) जेंडर एवं हिंसा, (iv) स्वास्थ्य प्रबंधन, (v) सुरक्षित वातावरण, (vi) भविष्य नियोजन।

गार्गी मंच के अंतर्गत सत्रपर्यन्त 4 थीमों पर आधारित 10 सत्रों के माध्यम से गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। गार्गी मंच की थीम हैं– (i) खुद को समझें, खुद को जानें (ii) कुदरत ने इंसान बनाया, भेदभाव फिर कहाँ से आया! (iii) मेरा हक, मेरी जिम्मेदारियां (iv) आजीविका व सुनहरा भविष्य।

1.7 सुगमकर्ता की भूमिका

- मीना–राजू मंच और गार्गी मंच के प्रेरक का चयन करना – मंच की कोर–समिति का गठन पुनर्गठन
- प्रेरकों को समझाना कि उन्हें कब क्या करना है।
- मंच का वार्षिक गतिविधि कलेंडर बनाना और संस्थाप्रधान से अनुमोदन प्राप्त करना
- मंच की गतिविधियों का समयानुसार संचालन करना / करवाना
- न्यूनतम 15 दिन में प्रेरक समिति की बैठक आयोजित करना
- सभी बच्चों की मंच की गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करना (सहयोग– कक्षा–अध्यापक / अन्य शिक्षकों)

1.8 संस्थाप्रधान की भूमिका

- मीना–राजू एवं गार्गी मंच वार्षिक गतिविधि कैलेंडर का अनुमोदन
- कक्षा–कक्षीय सत्रों के संचालन हेतु कक्षा–अध्यापक / अन्य अध्यापक को जिम्मेदारी देना
- मासिक समीक्षा बैठक करना – मीना–राजू मंच सुगमकर्ता, गार्गी मंच सुगमकर्ता, अन्य सहयोगी शिक्षक के साथ
- मासिक प्रगति शालादर्पण पर अद्यतन करना।
- मंच के सुझाव और समस्याओं पर मार्गदर्शन देना।

2 किशोर–किशोरियों हेतु एक्सपर्ट सेशन (अभिसरण आधारित दृष्टिकोण)

किशोरावस्था के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक संबंधों, सुरक्षा एवं भावनात्मक परिवर्तन से जुड़े अनेक जटिल मुद्दे उत्पन्न होते हैं, जिन पर सही जानकारी एवं मार्गदर्शन का अभाव किशोर–किशोरियों को असुरक्षित एवं भ्रमित निर्णयों की ओर ले जा सकता है। ऐसे में विषय विशेषज्ञों द्वारा समय–समय पर विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे सही निर्णय ले सकें तथा आवश्यकता पडने पर सहायता प्राप्त करने हेतु आगे आ सकें।

विद्यालय स्तर पर किशोर–किशोरियों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सुरक्षा एवं समग्र कल्याण से संबंधित विषयों पर जागरूकता एवं संवादात्मक सत्र आयोजित किए जाएँ। इन सत्रों का संचालन स्वास्थ्य विभाग, महिला अधिकारिता विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों/संस्थाओं के प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाए।

विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि ऐसे सत्र केवल जागरूकता तक सीमित न रहें, बल्कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सेवाओं एवं सहायता तंत्रों से विद्यार्थियों का प्रभावी जुड़ाव भी स्थापित हो सके, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे उचित परामर्श, सहायता एवं रेफरल सेवाओं तक पहुँच बना सकें।

2.1 गतिविधि संचालन का कवरेज

कक्षा 6 से 12 की समस्त बालिकाएं एवं बालक जो कि समस्त **36765** राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं।

2.2 गतिविधि संचालन के निर्देश

- संस्था प्रधान द्वारा जिला मुख्यालय पर स्थित प्रमुख विभागों—स्वास्थ्य विभाग, महिला अधिकारिता विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग —के नामित विशेषज्ञों/सेवा प्रदाताओं को विद्यालय में एक्सपर्ट सेशन हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- यह सत्र प्रत्येक तिमाही आधार पर नियमित रूप से आयोजित किए जाएँगे।
- इसके अतिरिक्त, विद्यालय स्तर पर मनाए जाने वाले विशेष दिवसों/अभियानों/जागरूकता कार्यक्रमों के अवसर पर भी ऐसे एक्सपर्ट सेशन का आयोजन किया जाए।
- संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक सत्र की पूर्व–योजना संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर तैयार की जाएगी।
- विद्यार्थियों के लिए आयोजित किये जाने वाले विशेषज्ञ सत्रों के प्रभावी संचालन हेतु निम्न प्रमुख विभागों एवं उनकी सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाना सुझावित है

    - <u>महिला अधिकारिता विभाग</u>
        - पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र
        - महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र
        - वन–स्टॉप सेंटर
    - <u>स्वास्थ्य विभाग</u>
        - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के टीम
        - किशोर–मैत्री स्वास्थ्य केंद्र / उजाला क्लिनिक के स्वास्थ्य परामर्शदाता
    - <u>बाल अधिकारिता विभाग</u>
        - बाल कल्याण समिति के सदस्य
        - चाइल्डलाइन
- विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सत्रों का अभिलेखन किया जाए तथा उपस्थिति एवं प्रमुख निष्कर्षों का रिकॉर्ड संधारित हो।
- सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं, हेल्पलाइन, परामर्श एवं रेफरल तंत्र की जानकारी दी जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे सहायता प्राप्त कर सकें।

3 किशोरी शैक्षिक उत्सव (किशोरी मेला)

किशोरी मेला विद्यार्थियों के लिए सीखने, अभिव्यक्ति एव सहभागिता का एक आनंददायी मंच है, जो पारंपरिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं से आगे बढकर बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। सामान्यतः परीक्षा एवं परिणाम को ही सीखने के आकलन का प्रमुख माध्यम माना जाता है, जिससे कई बार विद्यार्थियों में सफलता–असफलता की भावना विकसित हो जाती है। इसके विपरीत, किशोरी मेला गतिविधि–आधारित एवं सहभागितापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं, रचनात्मकता एवं सीखने को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।

इन मेलों के माध्यम से विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति, उनकी आवश्यकताओं एवं रुचियों को समझने का अवसर भी प्राप्त होता है, जिससे आगे की शैक्षणिक एवं जीवन कौशल आधारित गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। किशोरी मेले विद्यालयों में सकारात्मक, समावेशी एवं प्रेरक शिक्षण वातावरण विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3.1 किशोरी शैक्षिक उत्सव का उद्देश्य

- स्वयं करके सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना।
- शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आनन्ददायी बनाना।
- बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा ग्रेडिंग के आधार पर शिक्षण कार्य नियोजित करना।

मेले में की जाने वाली गतिविधियों को तीन जोन में विभाजित किया गया है। सभी जोन में बच्चों द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुति को शैक्षिक मेले में प्रदर्शित किये जाने वाली स्टॉल के रूप में दिखाया जाये जिसमें शिक्षक एवं प्रस्तुत करने वाले छात्रा–छात्र सम्मिलित होंगे।

प्रारम्भिक श्रेणी (elementary) एवं माध्यमिक श्रेणी (secondary) में तीन जोन निम्नानुसार होंगे –

(1) प्रारम्भिक श्रेणी (elementary)

जोन–1	जोन–2	जोन–3
हिन्दी	गणित	सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में
अंग्रेजी	विज्ञान	स्वास्थ्य एवं हाइजीन / बाल अधिकार एवं सुरक्षा

(2) माध्यमिक / उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु जीवन की तैयारी समारोह ऑफलाईन

जोन–1	जोन–2	जोन–3
हिन्दी / अंग्रेजी / दस्तावेजों पर समझ	गणित / विज्ञान / स्कॉलरशिप एवं योजनाएं	सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में करियर की तैयारी / बाल अधिकार एवं सुरक्षा / दस्तावेजों पर समझ / स्कॉलरशिप एवं योजनाएं

(नोटः– उक्त गतिविधि के तीनों जोन में विद्यार्थियों की इच्छानुसार भाग लिया जा सकेगा।)

सत्र 2026 –27 के लिये **समस्त 36765 राजकीय विद्यालयों में किशोरी मेला आयोजित किया जाना है** जिस हेतु संभावित समय एवं कार्य निम्नानुसार रहेंगे।

संभावित कार्यक्रम की तिथि	सहभागिता	गतिविधि का स्तर
अगस्त	विद्यालय	बच्चों तक सूचनाओं को भेजा जाना। इच्छुक छात्राओं (एकल) एवं छात्र–छात्राओं (सामूहिक) के प्रोजेक्ट चिन्हित करना।
		बच्चों द्वारा मॉडल / गतिविधि की तैयारी करना।
सितम्बर	विद्यालय	समस्त विद्यालयों में बच्चों द्वारा स्टॉल हेतु मॉडल / गतिविधि की प्रस्तुति।
सितम्बर	ब्लॉक	ब्लॉक के सभी विद्यालयों से प्राप्त समस्त प्रथम प्रस्तुतियों की समीक्षा एवं प्रत्येक तीनों जोन अन्तर्गत श्रेष्ठ तीन प्रस्तुतियों का चयन एवं प्रथम प्रस्तुति को जिले हेतु भेजा जाना। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन के अन्तर्गत प्रथम तीन प्रस्तुति को पुरस्कार।
अक्टूबर	जिला	सभी ब्लॉक से प्राप्त श्रेष्ठ प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए तीनों जोन में प्रथम तीन प्रस्तुतियों का चयन एवं प्रथम प्रस्तुतियों को राज्य हेतु भेजा जाना। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन के अन्तर्गत प्रथम तीन प्रस्तुतियों

		को पुरस्कार।
11 अक्टूबर	राज्य/ जिला	प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में चिन्हित प्रथम प्रस्तुतियों का अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में प्रदर्शन

विद्यालयों से अपेक्षा

सभी विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभिन्न नवाचारों का प्रयोग करते हुए मॉडल/ गतिविधि/प्रस्तुति को तैयार करावें। प्रत्येक विद्यालय के संस्थाप्रधान सभी बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे जिसमें शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। विद्यालय बच्चों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगा। संस्थाप्रधान किशोरी उत्सव आयोजन हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें –

- **किशोरी शैक्षिक उत्सव (किशोरी मेला) 2026–27 – शैक्षणिक मेला एवं जीवन की तैयारी, का आयोजन किया जाना है।** इस हेतु प्रत्येक राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों को स्टॉल तैयार करने हेतु प्रेरित करे। सभी बच्चों की प्रस्तुति पोस्टर, मॉडल, वीडियो, फोटोग्राफ्स, गेम्स, पहेली जैसे अनेक माध्यमों से की जा सकेगी।
- बच्चों को गतिविधियों के मॉडल एवं स्टॉल निर्माण में आवश्यक सामग्री हेतु प्रत्येक राजकीय विद्यालय को एकमुश्त राशि देय होगी। इस राशि का उपयोग मेले में लगाई जाने वाली स्टॉल, स्टेशनरी सामग्री एवं अन्य साज–सज्जा हेतु उपयोग किया जा सकेगा।
- सभी इच्छुक एवं रचनात्मक प्रतिभावान विद्यार्थी इसमें प्रतिभाग कर सकेंगे। सामूहिक प्रस्तुति में छात्र एवं छात्राएँ दोनों भाग ले सकेंगे।
- प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन में से श्रेष्ठ प्रस्तुतियों के चयन हेतु प्रत्येक स्तर पर – (विद्यालय, ब्लॉक एवं जिला स्तर) निर्णायक समिति का गठन किया जाये।
  श्रेष्ठ प्रस्तुति के चयन के लिए निर्णायक समिति निम्नांकित बिन्दु अनुसार मूल्यांकन करेगी –

स्टॉल की थीम, अवधारणा की स्पष्टता	50
प्रस्तुतिकरण	20
नवाचारों का प्रयोग	20
तकनीक का प्रयोग	10
कुल अंक	100

- उत्सव के आयोजन हेतु सभी स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाये। जिसमें SMC का सहयोग भी लिया जा सकता है तथा व्हाट्सअप ग्रुप, बैनर, फ्लैक्स, स्थानीय समाचार पत्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
- जिला स्तर पर पूरी प्रक्रिया का सम्पूर्ण डॉक्यूमेन्टेशन कर परिषद कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- बच्चों की प्रस्तुतियों का विद्यालय/ब्लॉक/जिला स्तर पर वीडियो बनाकर परिषद् कार्यालय से साझा किया जाए इसमें मूल प्रस्तुति से छेड़डाड़ नहीं की जाये।
- प्रत्येक स्तर पर किये गये कार्य की रिपोर्ट परिषद् कार्यालय को कार्य समाप्ति पर आवश्यक भेजी जावे।

ब्लॉक स्तरीय किशोरी शैक्षिक उत्सव

तालिका–4

वित्तीय प्रावधान

	विवरण
1	पुरस्कार ब्लॉक स्तर (तीनों जोन हेतु पृथक)

जोन	प्रारंभिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	आयोजन दिनांक
जोन 1	प्रथम पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र	प्रथम पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र	सितम्बर 2026 तृतीय सप्ताह
जोन 2	द्वितीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र	द्वितीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र	
जोन 3	तृतीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र	तृतीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र	

4. अर्न्तराष्ट्रीय बालिका दिवस/राष्ट्रीय बालिका दिवस

बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समान अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विद्यालय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन महत्वपूर्ण है। ऐसे आयोजन विद्यालयों में लैंगिक समानता, सम्मान एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक वातावरण विकसित करने में सहायक होते हैं।

इन अवसरों के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं समुदाय को बालिकाओं से जुड़े मुद्दों—जैसे शिक्षा में निरंतरता, बाल विवाह की रोकथाम, सुरक्षा, नेतृत्व, स्वास्थ्य एवं समान अवसर जैसे विषयों पर संवेदनशील बनाया जा सकता है। साथ ही, यह बालिकाओं को अपनी प्रतिभा, विचार एवं नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास एवं समूह सहभागिता की भावना विकसित होती है।

अतः विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस को गतिविधि–आधारित, सहभागितापूर्ण एवं जागरूकता उन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभावी रूप से आयोजित किया जाना अपेक्षित है।

4.1 विद्यालय स्तर पर समारोह आयोजन के संबंध में निर्देश

- बालिकाओं की शिक्षा, नेतृत्व, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं अधिकारों से संबंधित विषयों पर संवादात्मक सत्र, चर्चा एवं विशेषज्ञ वार्ता आयोजित की जाए।
- पोस्टर, निबंध, स्लोगन लेखन, कविता, भाषण, वाद–विवाद एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए।
- बाल विवाह रोकथाम, जेंडर समानता, बालिका शिक्षा एवं सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता रैली, शपथ ग्रहण एवं सामुदायिक संदेश गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ।

- प्रेरणादायी महिलाओं, पूर्व छात्राओं, स्थानीय महिला रोल मॉडल अथवा विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर संवाद सत्र आयोजित किए जाएँ।
- मीना–राजू मंच, गार्गी मंच एवं जीवन कौशल आधारित गतिविधियों के साथ इन आयोजनों को जोड़ा जाए।
- विद्यालय की बालिकाओं को **"एक दिन की नेतृत्व भूमिका"** (जैसे प्रार्थना सभा संचालन, कक्षा नेतृत्व आदि) प्रदान कर नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित किया जाए।

दिनांक	दिवस	स्तर	गैर वित्तीय/वित्तीय	विशेष टिप्पणी
11.10.2026	अन्र्तराष्ट्रीय बालिका दिवस	जिला मुख्यालय स्तर पर	वित्तीय	विद्यालय स्तर पर यह गतिविधि गैर वित्तीय है
24.01.2027	राष्ट्रीय बालिका दिवस	राज्य स्तर पर	वित्तीय	विद्यालय स्तर पर यह गतिविधि गैर वित्तीय है

नोट: जिला स्तरीय किशोरी मेला एवं अन्र्तराष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजन के दिशानिर्देश एवं बजट प्रावधान अलग से प्रेषित कर दिए जाएंगे

5. माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन

माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन (MHHM) स्वास्थ्य, शिक्षा तथा लैंगिक समानता से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है, विशेषकर विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरी बालिकाओं के संदर्भ में। माहवारी एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, तथापि इससे जुड़ी सामाजिक भ्रांतियाँ एवं प्रतिबंधात्मक मान्यताएँ आज भी विद्यमान हैं। अनेक बालिकाएँ बिना पूर्व जानकारी के माहवारी का अनुभव करती हैं, जिससे उनमें भय, संकोच एवं असमंजस उत्पन्न होता है। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन का संबंध स्वच्छता सुविधाओं से है। परंतु कई विद्यालयों में सुरक्षित, क्रियाशील एवं लैंगिक रूप से संवेदनशील सुविधाओं जैसे स्वच्छ शा. ैचालय, पानी, साबुन, हाथ धोने की व्यवस्था, गोपनीयता तथा अपशिष्ट निस्तारण का अभाव पाया जाता है। इन कमियों का बालिकाओं की शैक्षिक भागीदारी एवं उपलब्धियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भारत में लगभग चार में से एक किशोरी माहवारी के दौरान विद्यालय से अनुपस्थित रहती है, जिसका प्रमुख कारण अपर्याप्त सुविधाएँ, सामाजिक मान्यताएँ तथा रक्तस्त्राव के रिसाव का भय है। इससे बालिकाओं की अनुपस्थिति, कक्षा में कम सहभागिता तथा विद्यालय छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है।

विद्यालय बालिकाओं के ज्ञान, दृष्टिकोण एवं व्यवहार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः विद्यालय स्तर पर माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन हेतु एक समग्र रूपरेखा निम्नानुसार सुनिश्चित करना आवश्यक है:

(i) माहवारी प्रारंभ होने से पूर्व आयु–उपयुक्त एवं सही जानकारी का प्रावधान
(ii) सुरक्षित, गोपनीय एवं क्रियाशील शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता
(iii) शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं समुदाय में माहवारी स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता

राजस्थान के सामाजिक–सांस्कृतिक एवं भौगोलिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, बालिकाओं की उपस्थिति, सहभागिता एवं समग्र कल्याण को सुदृढ़ करने हेतु MHHM पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार, विद्यालयी प्रणाली में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन को प्रभावी रूप से समेकित किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी बालिका की शिक्षा माहवारी के कारण बाधित न हो।

इसी उद्देश्य से यह दिशा–निर्देश राजस्थान के सभी विद्यालयों में सुरक्षित, समावेशी एवं गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने हेतु एक समग्र रूपरेखा प्रदान करते हैं।

5.1 गतिविधि संचालन का कवरेज

कक्षा 6 से 12 की समस्त बालिकाएं जो कि समस्त **36765** राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं।

5.2 विद्यालय स्तर पर गतिविधि संचालन के निर्देश

विद्यालयों में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण

- विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार बालिकाओं और बालकों के लिए अलग–अलग, स्पष्ट रूप से चिह्नित क्रियाशील शौचालय उपलब्ध हों।
- सभी शौचालयों में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जहाँ पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति अनियमित हो, वहाँ जल भंडारण सुविधाएँ (ओवरहेड टैंक/सुरक्षित भंडारण इकाइयाँ) सुनिश्चित की जाए।
- शौचालयों का नियमित रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वे संचालन योग्य और स्वच्छ बने रहें।
- सभी शौचालयों में दरवाजे हो और अंदर से लॉक करने की सुविधा हो ।
- शौचालय ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध हो, वे सुरक्षित हों तथा बालिकाओं के लिए सुगम रूप से पहुँच योग्य हों।
- प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक शौचालय दिव्यांग बच्चों (CWSN) के लिए उपलब्ध हो, जिसमें आवश्यकतानुसार रैम्प और सहायक फिटिंग हों।
- प्रत्येक शौचालय में साबुन से हाथ धोने की सुविधा हो।
- बालिकाओं के शौचालयों में सैनिटेरी अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए ढके हुए डस्टि्बन हो।
- डस्टि्बन को दैनिक रूप से खाली किया जाए, या आवश्यकता अनुसार, ताकि ओवरफ्लो और दुर्गंध न हो।
- सभी विद्यालयों में सैनिटेरी अपशिष्ट निपटान की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।
- विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जाए।
- किसी कारणवश कमी होने पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्राप्त कर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ।
- सैनिटरी नैपकिन निर्धारित वितरण स्थलध्व्यक्ति (महिला शिक्षक या अधिकृत कर्मचारी) द्वारा उपलब्ध कराए जाए एवं वितरण स्थल पर स्पष्ट संकेत लगाएँ जाएँ, जिससे बालिकाओं को उपलब्धता की जानकारी मिल सके।

5.3 माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन (MHHM) कॉर्नर की स्थापना

प्रत्येक स्कूल परिसर में एक सुव्यवस्थित माहवारी स्वच्छता प्रबंधन (MHHM) कॉर्नर स्थापित किया जाए जिसमें निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हों:

- आपातकालीन सैनिटरी नैपकिन
- अतिरिक्त अंतर्वस्त्र
- सुरक्षित निपटान के लिए डिस्पोजेबल पेपर बैग
- साबुन और हैंड सैनिटाइजर
- माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित IEC सामग्री

- MHHM कॉर्नर सुगम स्थल पर स्थापित किया जाए जैसे बालिकाओं का कॉमन रूम, सिक रूम।

5.4 संवेदनशीलता, रखरखाव और अनुपालन के लिए संस्थागत व्यवस्था

- सभी विद्यार्थियों के लिए माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता सत्र समय–समय पर आयोजित किए जाएँ, ताकि एक संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित हो सके। जिला अस्पताल (DH), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के चिकित्सा विशेषज्ञों को त्रैमासिक एवं/अथवा आवश्यकता अनुसार आमंत्रित कर माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन (MHHM) पर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाए तथा आवश्यकतानुसार बालिकाओं को व्यक्तिगत परामर्श प्रदान कर सकें।
- माहवारी स्वच्छता प्रबंधन (MHM) पर IEC सामग्री सभी स्कूलों में उपलब्ध कराई जाए। ऐसी सामग्री स्कूल परिसर में प्रमुख और आसानी से पहुँच योग्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाए, ताकि छात्रों के बीच दृश्यता और जागरूकता सुनिश्चित हो सके।
- एक कर्मचारी को MHHM नोडल व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाए, जो रखरखाव, स्टॉक मॉनिटरिंग और आवश्यकता पड़ने पर सहायक परामर्श की जिम्मेदारी संभाले।
- समस्त विद्यालयों में MHHM अंतर्गत प्रभावी मोनिट्रिंग हेतु महिला शिक्षिका, PET शिक्षक एवं कक्षा 9–12 की चयनित बालिकाओं को शामिल कर कमिटी गठित की जाए ।
- संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि सैनिटरी अपशिष्ट निपटान तंत्र क्रियाशील और पर्यावरण अनुकूल हो। अनुपालना न होने की स्थिति में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

5.5 विद्यालय स्तर पर MHHM संबंधित आयोज्य गतिविधिया

Sl no	Activity	Timeline	Remarks
1	Weekly Awareness session on MHHM by trained Teacher	Every Saturday on "No Bag Day"	
2	MHHM Day Celebration	28th May	To be included during Summer Camps, NSS camps, or any other such engaging platforms organised during summer break
3	MHHM Corner	July 1st Week	
4	Expert Sessions and specialised counselling for adolescent girls on MHHM	Quarterly (July; October; January; April)	Principal should Invite experts/doctors from Health Department (RBSK Team, Ujala Clinic or an other experts)

6 गतिविधि हेतु बजट विवरण

Activity Name	Physical	Unit Cost (in Lakh)	Financial Cost (in lakhs)	Remarks
Kishori mela (elementary schools)	17839	0.025	445.97	Stationary for Stall Arrangement/ Model prepration, Mela arrangements, Certificate and Prize for selected/ qualified students And formation/reformation of Meena, Raju and Gargi Manch
Kishori mela (Secondary schools)	18926	0.045	851.67	
358 Block level kishori mela	358	0.10000 (per block)	35.80 (Estimated)	Among the presentations submitted by all Govt Schools, the presentation securing the first position at the block level shall be selected for a Certificate of Appreciation, and a prize shall be awarded to the respective school
District level International Girl Child Day (11 October 2026)	41	3	123.00(Estimated)	Directions for celebrating international girl child day at district level will be issued seperately
State Level National Girl Child Day (24 January 2027)	1	20	20	For 2027 celebration, Bhilwara has been nominated during 2026 celebration in Kota.
Printing of Meena Raju Gargi Manch Facilitators guidebook – 10 copy per schools	367650	0.00098412	361.81	Printing at State level and dissemination to districts
Establishment of MHHM Corner	36765	0.04	1470.6	MHHM corner will consist of following: Extra Sanitary Napkins, spare Undergarments, Soap and Sanitizers, Extra Uniform set (where possible), disposable paper bags, clear signage of MHHM corner, Display of MHHM committee members
One Day SRG Training (3 SRGs per district)	123	0.015	1.845	State Level
One day DRG Training (36765 DRGs, per school 1)	36765	0.005	183.82	District Headquarter
Development and Distribution of IEC Materials related to MHHM	367650	0.000495	181.98	State Level
			3676.50	

7 मॉनिटरिंग एवं अभिलेख संधारण

- गतिविधियों की मॉनिटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के सक्षम अधिकारीयों एवं सम्बन्धित प्रकोष्ठ प्रभारियों, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, के माध्यम से की जायेंगी।
- कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों के संचालन से सम्बन्धित एक रिपोर्ट जिला स्तर पर प्रेषित की जाएगी, जिला अपने जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों की किशोर सशक्तिकरण की गतिविधियों की समेकित रिपोर्ट बालिका शिक्षा प्रकोष्ठ को ई–मेल पर साझा करेंगे।
- कार्यक्रम संचालन की कुछ अच्छी फोटो राज्य स्तर पर बालिका शिक्षा प्रकोष्ठ को गूगल लिंक के माध्यम से साझा करे।

8 लेखा संबंधी बिन्दु

- एन्ट्री से पूर्व किये गये व्यय की पूर्णता पुष्टि कर लें। त्रुटि पूर्ण एन्ट्री हेतु व्यक्तिशः स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में किया जाए।
- जिले द्वारा व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

गतिविधि का नाम – किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	राजकीय विद्यालय का नाम	यूडाईस कोड	विद्यार्थियों की संख्या			प्राप्त राशि	उपयोग राशि	शेष राशि	शेष राशि का कारण
					बालिकाएं	बालक	कुल				

9 जिला परियोजना कार्यालय के दायित्व

- गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से जारी बजट को जिला स्तर से विद्यालय स्तर तक शीघ्रातिशीघ्र आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।
- स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए प्रभारी नियुक्त करना ।
- जिला स्तर के प्रशिक्षण को निश्चित समयावधि में पूर्ण करना ।
- जिले में कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में उपलब्ध सामग्री/ मॉडयूल अनुसार सत्रों का आयोजन निश्चित समयावधि में करवाना ।
- जिला स्तर की मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम के संचालन, प्रगति एवं उपलब्धियों पर आवश्यक रूप से चर्चा करें।
- समय–समय पर पत्र एवं दिशा–निर्देश जारी करते हुए मंच को सुदृढ़ीकरण प्रदान करावें।

10 ब्लॉक परियोजना कार्यालय के दायित्व

- जिला स्तर के प्रशिक्षण में विद्यालय स्तर से शिक्षक की भागीदारी सुनिश्चित करवाना
- ब्लॉक में कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में उपलब्ध सामग्री/ मॉडयूल अनुसार सत्रों की समय पर पहुँच सुनिश्चित व विद्यालय स्तर पर गतिविधियों का आयोजन निश्चित समयावधि में करवाना ।
- जिला स्तर की मासिक समीक्षा बैठक में आवश्यक रूप से कार्यक्रम के संचालन, प्रगति एवं उपलब्धियों पर चर्चा।
- विद्यालय अवलोकन के दौरान कक्षावार (कक्षा 6 से 12) के विद्यार्थियों से संपर्क कर चर्चा करें एवं जानें कि प्रस्तावित गतिविधियों के अंतर्गत कौनसी गतिविधि चल रही है, विद्यार्थियों के अनुभव सुनें, गतिविधि के दौरान आ रही चुनौतियों पर बात करें एवं अवलोकन रजिस्टर मे अंकित कर अध्यापक एवं प्रिंसिपल को अवगत करावें।
- विद्यालय स्तर से कुछ अच्छी केस स्टडी चयनित कर उसे विद्यालयद्वारा, शिक्षकों व विद्यार्थियों के सहयोग से लिखा जाना सुनिश्चित करें ।
- समय–समय पर पत्र एवं दिशा–निर्देश जारी करते हुए मंच को सुदृढ़ीकरण प्रदान करावें।

11 पीईईओ /यूसीसीईओ के दायित्व

- परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों की मॉनिटरिंग करना ।
- पीईईओ /यूसीसीईओ स्तर की बैठकों में कार्यक्रम की समीक्षा करना एवं रणनीति तैयार करना एवं क्रियान्वयन करना।
- पीईईओ /यूसीसीईओ क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में कार्यक्रम के अनुसार सत्रों का आयोजन निश्चित समयावधि में करवाना ।
- कार्य्रकम के तहत आयोजित प्रशिक्षण/ बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी देना ।
- अपने अवलोकन के आधार पर अपने उच्च अधिकारियों को सटीक प्रतिक्रिया देना ।
- व्हाट्सएप समूह बनाना एवं गतिविधियों के साक्ष्यों को साझा करना ।

12 राजकीय विद्यालय के संस्थाप्रधान के दायित्व

- कार्यक्रम के आयोजन हेतु रणनीति तैयार करना एवं क्रियान्वयन करना ।
- कार्यक्रम हेतु प्रभारी नियुक्त करना ।
- विद्यालय स्तर पर सभी गतिविधियों का आयोजन निश्चित समयावधि के साथ गुणवत्तापूर्ण पूर्ण हो, सुनिश्चित करना ।
- शिक्षकों से चर्चाकर सत्रों के लिए आवश्यक समय, स्थान एवं संसाधनों की उपलब्धता को समझना।
- शिक्षको के साथ इस कार्यक्रम को लेकर समीक्षात्मक चर्चा करना ।
- गार्गी मंच एवं मीना– राजू मंच की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना ।
- कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रशिक्षणों/ समीक्षात्मक बैठकों में सक्रीय भागीदारी करना ।

(डॉ रश्मि शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : 6950
दिनांक : 03/07/2026

प्रतिलिपी :–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3 निदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4 निदेशक, एससीईआरटी, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त प्रशिक्षणें एव कार्यशालाओं में उक्त बालिका शिक्षा की गतिविधियों की जानकारी को सम्मिलित करें।
5 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक –1 एवं 2, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
6 वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7 उपनिदेशक, आई.टी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में अपलोड कराने हेतु।
8 संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग, समग्र शिक्षा।
9 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि समस्त गतिविधियों का संचालन समयानुसार करना सुनिश्चित करें।
11 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।
12 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक को भेजकर लेख है कि उक्त गतिविधि की प्रभावी मॉनीटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
13 समस्त, जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, ।
14 समस्त, सीबीईईओ एवं पीईईओ।
15 समस्त राजकीय संस्थाप्रधान उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार गतिविधि की प्रभावी कार्ययोजना बनाते हुए कार्य पूर्ण करें।
16 समस्त आर.ई.आई पार्टनर एवं यूएनएफपीए ।
17 रक्षित पत्रावली।

Annexure-A

Elementary School List

S.NO.	NAME OF DISTRICT	NO. OF SCHOOLS	Approved Budget (in lakhs)
1	AJMER	409	40.9
2	ALWAR	553	55.3
3	BALOTARA	398	39.8
4	BANSWARA	448	44.8
5	BARAN	380	38
6	BARMER	762	76.2
7	BEAWAR	354	35.4
8	BHARATPUR	285	28.5
9	BHILWARA	840	84
10	BIKANER	433	43.3
11	BUNDI	360	36
12	CHITTAURGARH	597	59.7
13	CHURU	456	45.6
14	DAUSA	407	40.7
15	DEEG	228	22.8
16	DHAULPUR	286	28.6
17	DIDWANA-KUCHAMAN	391	39.1
18	DUNGARPUR	403	40.3
19	GANGANAGAR	551	55.1
20	HANUMANGARH	358	35.8
21	JAIPUR	934	93.4
22	JAISALMER	270	27
23	JALOR	475	47.5
24	JHALAWAR	580	58
25	JHUNJHUNU	476	47.6
26	JODHPUR	617	61.7
27	KARAULI	350	35
28	KHAIRTHAL-TIJARA	238	23.8
29	KOTA	404	40.4
30	KOTPUTLI-BEHROR	281	28.1
31	NAGAUR	419	41.9
32	PALI	492	49.2
33	PHALODI	245	24.5
34	PRATAPGARH (RAJ.)	259	25.9
35	RAJSAMAND	462	46.2
36	SALUMBAR	189	18.9
37	SAWAI MADHOPUR	309	30.9
38	SIKAR	661	66.1
39	SIROHI	226	22.6
40	TONK	473	47.3
41	UDAIPUR	580	58
	Grand Total	**17839**	**1783.9**

SECONDARY SCHOOL LIST

S.NO.	District Name	NO. OF SCHOOLS	Approved Budget (in lakhs)
1	AJMER	510	51.00
2	ALWAR	558	55.80
3	BALOTARA	447	44.70
4	BANSWARA	543	54.30
5	BARAN	341	34.10
6	BARMER	690	69.00
7	BEAWAR	310	31.00
8	BHARATPUR	388	38.80
9	BHILWARA	637	63.70
10	BIKANER	665	66.50
11	BUNDI	300	30.00
12	CHITTAURGARH	464	46.40
13	CHURU	644	64.40
14	DAUSA	467	46.70
15	DEEG	284	28.40
16	DHAULPUR	340	34.00
17	DIDWANA-KUCHAMAN	495	49.50
18	DUNGARPUR	481	48.10
19	GANGANAGAR	541	54.10
20	HANUMANGARH	463	46.30
21	JAIPUR	1058	105.80
22	JAISALMER	292	29.20
23	JALOR	516	51.60
24	JHALAWAR	339	33.90
25	JHUNJHUNU	582	58.20
26	JODHPUR	706	70.60
27	KARAULI	396	39.60
28	KHAIRTHAL-TIJARA	270	27.00
29	KOTA	330	33.00
30	KOTPUTLI-BEHROR	323	32.30
31	NAGAUR	484	48.40
32	PALI	448	44.80
33	PHALODI	273	27.30
34	PRATAPGARH (RAJ.)	285	28.50
35	RAJSAMAND	408	40.80
36	SALUMBAR	201	20.10
37	SAWAI MADHOPUR	352	35.20
38	SIKAR	725	72.50
39	SIROHI	287	28.70
40	TONK	382	38.20
41	UDAIPUR	701	70.10
	Grand Total	**18926**	**1892.60**